वेबसाइट : www.abvp.org
पंजिकृत क्रमांक : S-385/1949-50

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद

केंद्रीय कार्यालय– 3, मार्बल आर्च, सेनापती बापट मार्ग, माटुंगा रोड (प.रे.), माहिम, मुंबई - 400016.
दूरभाष :(022) 24306321 / 24378866 फैक्स :24313938 ई–मेल : abvpkendra@gmail.com

दिनांक: 22 फरवरी 2022

-: प्रेस विज्ञप्ति :-

राष्ट्रीय महिला आयोग के प्रतिनिधिमंडल से मिले अभाविप के कार्यकर्ता

अखिल भारतीय विद्यार्थी परिषद के 32 कार्यकर्ता, शांतिपूर्ण प्रदर्शन के मामले में कल माननीय अदालत से ज़मानत मिलने के बाद, 8 दिन न्यायिक हिरासत के पश्चात आज जेल से बाहर आए। गिरफ़्तार हुई, चारों छात्राओं ने आज राष्ट्रीय महिला आयोग के 2 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल से चेन्नई में भेंट करी तथा तमिलनाडु पुलिस द्वारा संविधान के दायरे से बाहर जाकर की गई कार्रवाई से भी अवगत कराया। राष्ट्रीय महिला आयोग का प्रतिनिधि मण्डल लावण्या आत्महत्या को लेकर तमिलनाडु के 2 दिवसीय दौरे पर है।

विदित हो कि अभाविप के 32 कार्यकर्ताओं को लावण्या मामले में न्याय की मांग करते हुए तमिलनाडु के मुख्यमंत्री आवास के बाहर शांतिपूर्ण प्रदर्शन के दौरान गिरफ़्तार कर लिया गया था। जिसके बाद उन्हें 8 दिन न्यायिक हिरासत में बिताने के बाद माननीय न्यायालय द्वारा उनकी अभिव्यक्ति के अधिकार का संरक्षण करते हुए बिना शर्त ज़मानत दे दी गयी थी।

अभाविप की राष्ट्रीय महामंत्री सुश्री निधि त्रिपाठी ने कहा, " तमिलनाडु की सरकार लावण्या मामले में न्याय न देने के लिए किसी भी सीमा तक गिर सकती है। हमारे कार्यकर्ताओं को जेल में डालना भी उनकी इसी मंशा को दर्शाता है। परंतु अभाविप ऐसे घृणित कृत्यों से डरने वाली नहीं है। आज राष्ट्रीय महिला आयोग को पुलिस द्वारा की गई संविधान विरोधी कार्रवाई के बारे में अवगत करवाया गया है और लावण्या के न्याय के लिए अभाविप प्रतिबद्ध है।"

(यह प्रेस विज्ञप्ति केंद्रीय कार्यालय मंत्री सुमित पाण्डेय द्वारा जारी की गई है।)